चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Chaudhary Charan Singh University, Meerut

पत्रांक: परीक्षा/1476
दिनांक: 29.11.2019

विज्ञप्ति

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कतिपय ऐसे छात्र जिनके द्वारा सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों की विषम सेमेस्टर परीक्षा (दिसम्बर–2019) की परीक्षाओं से सम्बन्धित परीक्षा फार्म भरा जा चुका है परन्तु किंचित कारणो से परीक्षा फार्म का निर्धारित शुल्क अभी तक भी जमा नहीं किया गया है और इस कारण महाविद्यालय द्वारा सन्दर्भित परीक्षा फार्म को वेबसाईट पर सत्यापित (Verify) करते हुये अग्रसारित नहीं किया गया है।

अतः छात्रहित को दृष्टिगत रखते हुये ऐसे सन्दर्भित छात्रों के विषम सेमेस्टर परीक्षा (दिसम्बर–2019) के परीक्षा फार्मों का परीक्षा शुल्क जमा कराये जाने तथा महाविद्यालय/संस्थान द्वारा वेबसाईट पर सत्यापित (Verify) करते हुये परीक्षा फार्म को अग्रसारित किये जाने के आदेश इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान किये जाते हैं कि जिन विषयों के सम्बन्ध में परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा विषम सेमिस्टर परीक्षा (दिसम्बर–2019) में आयोजित करायी जा चुकी हैं, यदि ऐसा है तो उन विषयों के सम्बन्ध में ऐसे छात्रों को वर्ष 2020 में आयोजित आगामी परीक्षा में ही सम्मिलित हो सकते हैं। उपरोक्त सन्दर्भित अभ्यर्थी विलम्बतम दिनांक 02.12.2019 (तीन दिवस) तक सन्दर्भित परीक्षा फार्म का शुल्क ऑनलाईन जमा कर सकते हैं।

परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

01. प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक, समस्त सम्बद्व महाविद्यालय/संस्थान, चौ0 चरण सिंह वि0वि0, मेरठ तथा समस्त विभागाध्यक्ष/समन्वयक, वि0वि0 परिसर, मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि परीक्षा फार्म अग्रसारण से पूर्व अर्हता की भली–भाति जांच कर ली जाये कि जिस पाठ्यक्रम के लिए छात्र आवेदन कर रहा है, उसके लिए वह अर्ह है अथवा नहीं अन्यथा की स्थिति में परीक्षा फार्म निरस्त कर दिया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित छात्र एवं महाविद्यालय/संस्थान/विभाग का होगा।
02. सचिव कुलपति को, माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
03. वैयक्तिक सहायक–प्रतिकुलपति को, प्रति कुलपति जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
04. वैयक्तिक सहायक–कुलसचिव को, कुलसचिव जी के सूचनार्थ प्रेषित।
05. वैयक्तिक सहायक–परीक्षा नियंत्रक को परीक्षा नियंत्रक जी के सूचनार्थ।
06. वैयक्तिक सहायक–वित्त अधिकारी को वित्त अधिकारी के सूचनार्थ।
07. लेखाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।
08. उप कुलसचिव/सहा0 कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय/लेखा/सामान्य/कमैटी सैल/अति गोपनीय विभाग)।
09. विश्वविद्यालय पूछताछ केन्द्र/सूचना पट।
10. विश्वविद्यालय प्रेस प्रवक्ता/प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाईट।
11. विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत कम्पनी, को इस आशय के साथ कि उपरोक्त सन्दर्भित पूर्व में भरे गये परीक्षा फार्मों का नियमानुसार शुल्क केवल ऑनलाईन जमा कराये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

परीक्षा नियंत्रक